



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1226]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2008/भाद्र 5, 1930

No. 1226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2008/BHADRA 5, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2008

का.आ. 2117(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (तृतीय संशोधन), आदेश, 2008 है।
- (2) यह पहली सितम्बर, 2008 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना, आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से 30 अप्रैल, 2009 तक की अवधि के लिए प्रास्थान में रखा जाएगा।

3. इस आदेश की कोई बात गेहूं और दालों (साबुत या दली हुई) के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकारें या राज्य सरकारों आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध ऊपर खंड 2 में वर्णित अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण :— मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373(अ), तारीख 31 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008 और सं. का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 27th August, 2008

S.O. 2117(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the first day of September, 2008.

2. The words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, wheat and pulses for a further period upto 30th April, 2009 from the date of commencement of this Order.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of wheat and pulses (whole or split) to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :—

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F.No. 10/1/2006-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note :— The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by number G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, number S.O. 1373(E) dated the 29th August, 2006, number S.O. 297(E) dated the 27th February, 2007, number S.O. 1488(E) dated the 31st August, 2007, number S.O. 400(E) dated the 28th February, 2008 and number S.O. 823(E) dated the 7th April, 2008.